# समाहरणालय, पलामू

## (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

## अति अल्पकालीन निविदा

सरकार के प्रधान सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक 72(आ0)/73(आ0) दिनांक 20.09.2017 से वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 – 79 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनधारियों के लिए) के क्रियान्वयन हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजना एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए प्रचार–प्रसार एवं सेमिनार व्यय ईकाई मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश हिस्से की राशि का प्राप्त आवंटन से पलामू जिला के पंचायत सचिवालयों एवं अन्य स्थानों पर इस विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन कार्य के लिए अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इच्छुक निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 19.02.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगा। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 25000.00 (पचीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, पलामू के नाम से देना आवश्यक है। बिना अग्रधन निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाताओं को दो अलग–अलग सील बन्द लिफाफा (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड) जमा करना होगा। वित्तीय बीड में दीवार लेखन हेतु अंकित दर प्रति वर्ग फीट में होना चाहिए।
4. निविदा के साथ उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र, अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र, वाणिज्य कर निबंधन, पैन कार्ड की छायाप्रति, आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षो की छायाप्रति (सभी स्व–अभिप्रमाणित) संलग्न करना होगा।
5. दीवार लेखन में किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य खर्च का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
7. चयनित निविदादाता को दिवार लेखन का कार्य करने हेतु जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू से लेख सामग्री प्राप्त करना होगा तथा एशियन प्लास्टिक पेन्ट से दीवार लेखन का कार्य करना होगा।
8. दीवार लेखन का कार्यादेश प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर कार्य सम्पन्न कराते हुए संबंधित पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा कि दीवार लेखन कितने वर्ग फिट में किया गया है, तदोपरांत अंचल पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू में अभिश्रव के साथ जमा करना होगा।
9. निविदादाता को पूर्व में कार्य नहीं करने के आरोप में काली सूची में नहीं डाला गया है, इसका शपथ–पत्र देना होगा।
10. वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता जिनका नाम किसी अन्य जिला/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, अगर वही व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से नया प्रतिष्ठान बनाकर निविदा देंगे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सक्षम धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
11. निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
12. दीवार लेखन के कार्य में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

85
9/2/18

**उपायुक्त, पलामू।**

ज्ञापांक /दिनांक

प्रतिलिपि :जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का राष्ट्रीय एवं स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशन करने की व्यवस्था करें। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बेवसाईट www.prdjharkhand.in पर में भी अपलोड करने की व्यवस्था करें।

उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 84 /दिनांक 09-02-2018

प्रतिलिपि :जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू (एन0आई0सी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त निविदा को एन0आई0सी0 के बेवसाईट में अपलोड करें।

08/02/18

उपायुक्त, पलामू।